संख्या-82/2017/5063/71-2-17-सीएमयू-93/2011

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 2017**

विषयः- क्रिटीकल केयर/ट्रामा क्रिटीकल केयर विभाग का नाम एम0सी0आई0 में इंगित व्यवस्थाओं के अनुरूप 'क्रिटीकल केयर मेडिसिन विभाग' के रूप में संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-केजीएमयू/वीसी/1313/2017, दिनांक 13-10-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 में क्रिटीकल केयर मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-486/71-2-2013-सीएमयू-93/2011, दिनांक 25-9-2013 द्वारा ट्रामा क्रिटीकल केयर एवं शासनादेश संख्या-4641/71-2-2016-सीएमयू-93/2011, दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा सृजित क्रिटीकल केयर पाठयक्रम के सुचारू संचालन हेतु एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में संचालित "क्रिटीकल केयर मैनेजमेण्ट" का नाम "क्रिटीकल केयर मेडिसिन विभाग" के रूप में संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25-9-2013 एवं 31 मार्च 2017 को इस सीमा तक संशोधित पढा व समझा जाय। अन्य शर्ते यथावत् प्रभावी होगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1437/दस-2017, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 82/2017/5063(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
6. वित ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक)-1/2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।